न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–14 (बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट)
कानपुर देहात।
सेशन केस सं० 500/2025
सरकार बनाम जयप्रकाश उर्फ जे०पी०उर्फ धर्मेन्द्र

<u>बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं०</u>

नाम– जयप्रकाश
उम्र– 30
पेशा– पेण्टर/मजदूरी
जिला– कानपुर देहात।
पिता का नाम–अशोक कुमार
निवासी–ग्राम नंदना
थाना– सिंकदरा

प्रश्न–01. वादी मुकदमा पूरन सिंह द्वारा आपके विरूद्ध थाना सिकन्दरा मे शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये, उसमे कथन किया गया है कि " दिनांक 02/01/2025 को प्रार्थी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष, को ग्राम नंदना का जयप्रकाश उर्फ जेपी, सुबह करीब 4 बजे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता को भगाने मे ग्राम नंदना के कल्लू पुत्र राम औतार का पूरा सहयोग है। दोनो व्यक्ति कल सुबह घर आये थे। जब मेरी पुत्री घर पर नही थी तो मैने काफी तलाश की तथा जानकारी करने ग्राम नंदना जयप्रकाश के घर गया तो वहां उसके पिता ने बताया कि मेरा लड़का शाम को घर पर था, इस समय नही है। प्रार्थी की पुत्री अपने साथ प्रार्थी का मोबाइल, घर का जेवर व 20000/–रूपये भी ले गयी है।" तहरीर प्रार्थना पत्र मे किये गये कथनों के संबंध मे आपको क्या कहना है?

उत्तर– वादी मुकदमा द्वारा तहरीर प्रार्थना पत्र झूठा व असत्य कथनों पर अंकित कराया गया है। मेरे द्वारा उसकी पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ नही ले जाया गया था। घटना की तिथि व समयावधि मे मैं अपने बाबा भोला सिंह के यहां आवासीय कालोनी कस्बा एवं जनपद औरैया मे मौजूद था।

प्रश्न–02. आपने अभियोजन पक्ष के साक्षी पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा पूरन सिंह के बयान सुने। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण बयान मे कथन किया है कि " मेरी लडकी का नाम पीड़िता है। घटना के समय मेरी लड़की लगभग 15 वर्ष 4 माह की थी। वह कक्षा 1 से 8 तक गांव के सरकारी स्कूल मे पढ़ी है तथा उसने कक्षा 9 सिकन्दरा के सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज से किया है। घटना 1–2 की मध्य रात्रि, अंग्रेजी के नये साल की है। मेरी लड़की को जय प्रकाश बहला फुसला कर ले गया था जिसमे उसका साथ कल्लू ने दिया था। जब की घटना है मै घर पर सो रहा था। मेरी लडकी सुबह चार बजे जय प्रकाश के साथ गयी थी। पुत्री की खोजबीन करने हेतु जयप्रकाश के घर जाने पर मुझे उसके पिता मिले थे जिन्होने मुझे बताया था कि जयप्रकाश भी घर पर नही है। मेरी लड़की अपने साथ मोबाइल, 20000/–रूपये नगद व जेवर ले गयी थी। मेरी लड़की मुझे तीन महीने बाद मिली थी जिसने बताया था कि जयप्रकाश ने मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। दरोगा जी ने मुझसे घटना के बारे मे पूछताछ की थी।" इस साक्षी ने न्यायालय मे बयान देते हुये स्वयं द्वारा थाना सिकंदरा मे प्रस्तुत तहरीर प्रार्थना पत्र को **प्रदर्श क –1** के रूप मे साबित किया है। इस साक्षी के बयान के संबंध मे आपको क्या कहना है?

उत्तर– साक्षी का बयान झूठा व असत्य है।

प्रश्न–03. आपने अभियोजन पक्ष की साक्षी पी०डब्लू०–02 प्रकरण की पीड़िता पुत्री पूरन सिंह के बयान सुने। इस साक्षी ने बयान देते हुये अपने मुख्य परीक्षण बयान मे कथन किया है कि " मेरी मां का नाम सिद्देश्वरी है, मै कक्षा 8 तक पढ़ी हूँ। मैंने कक्षा 8 तक की पढाई सरस्वती इण्टर कालेज सिकंदरा से की है। घटना दिनांक 01.01.2025 की है। मै रात के 12 बजे घर से शौचक्रिया हेतु गयी थी, तभी मुझे खेतो पर जयप्रकाश मिला जो मुझे अपने साथ जबरन कानपुर ले गया था। वहां कल्यानपुर ले गया और उसने मेरे साथ जबरन शादी की और शादी करने के बाद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। मुझे पुलिस ने सूर्या होटल सिकन्दरा से बरामद किया था जहां जयप्रकाश मुझे लेकर आया था। जब पुलिस ने बरामद किया था तब जयप्रकाश पुलिस को देखकर भाग गया

था। पुलिस ने मुझसे घटना के बारे मे पूछताछ की थी व मेरा मेडिकल कराया था। मेरे मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुये थे। घटना के समय मेरी उम्र 16 वर्ष की थी।" इस साक्षी ने न्यायालय मे बयान देते हुये स्वयं द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही मे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराये गये धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान को **प्रदर्श P –2** के रूप मे साबित किया है। इस साक्षी के बयान के संबंध मे आपको क्या कहना है?

उत्तर– मैं पीड़िता को जानता पहचानता नही हूॅ। उसका बयान पूर्णतय असत्य है। मै पीडिता को अपने साथ लेकर नही गया था, न ही मैने उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई अपराध किया है।

प्रश्न–4 आपने अभियोजन पक्ष के साक्षी पी०डब्ल्यू० 3 हेड आरक्षी 171 धर्मेन्द्र दिवाकर के बयान सुने। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण बयान मे कथन किया कि " दिनांक 02.01.2025 को मै, हेड आरक्षी के पद पर कार्यरत था जिस दिन वादी मुकदमा पूरन सिंह एक टाइपशुदा प्रार्थना पत्र लेकर थाने आया था जिसे मैने थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर मु०अ०सं० 01/2025 अंतर्गत धारा 137(2),87,61 भारतीय न्याय संहिता अभियुक्तगण जयप्रकाश उर्फ जेपी एवं कल्लू के विरूद्ध पंजीकृत किया था व जिसकी कायमी जी०डी०संख्या 17, दिनांक 02.01.2025 को समय 10:37 बजे करायी थी। इस साक्षी ने न्यायालय मे बयान देते हुये प्रकरण से संबंधित चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को **प्रदर्श P –3** के रूप मे तथा मुकदमा कायमी से संबंधित जी०डी० प्रविष्टि को **प्रदर्श P–4** के रूप मे साबित किया है। इस साक्षी के बयान के संबंध मे आपको क्या कहना है।

उत्तर– कुछ नही कहना है।

प्रश्न–05 आपने अभियोजन पक्ष के साक्षी पी०डब्ल्यू० 4 उपनिरीक्षक चरन सिंह के बयान सुने। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण बयान मे कथन किया कि" दिनांक 02.01.2025 को मैं थाना सिकन्दरा मे उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था, जिस दिन मु०अ०सं० 01/2025 अंतर्गत धारा 137(2),87,61 भारतीय न्याय संहिता की विवेचना मुझे मय प्रपत्र प्राप्त हुयी थी। इस साक्षी ने न्यायालय मे बयान देते हुये स्वयं द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही मे किता किये गये केस डायरी के पर्चो की सत्यता को प्रमाणित किया है तथा स्वयं द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर निर्मित घटना स्थल की नक्शानजरी को **प्रदर्श P–5** के रूप मे, साक्षीगण के बयानों के आधार पर प्रकरण मे की गयी आपराधिक धारा बढोत्तरी से संबंधित जी०डी प्रविष्टि को **प्रदर्श P–6** के रूप मे, अभियुक्त की गिरफतारी से संबंधित जी०डी०प्रविष्टि को **प्रदर्श P–7** के रूप मे तथा विवेचना समाप्ति उपरान्त अभियुक्त जयप्रकाश के विरूद्ध न्यायालय मे प्रस्तुत आरोप पत्र को **प्रदर्श P–8** के रूप मे साबित किया है। इस साक्षी के बयान के संबंध मे आपकों क्या कहना है?

उत्तर– कुछ नही कहना है।

प्रश्न–06 विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही मे पीड़िता की बरामदगी उपरान्त उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला महिला चिकित्सालय की आकस्मिक चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिनके द्वारा परीक्षण उपरान्त निर्मित की गयी पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली पर संलग्न है। उक्त चिकित्सीय परीक्षण आख्या की सत्यता को आपके विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किये जाने के आधार पर उक्त प्रपत्र को अभियोजन साक्ष्य मे **प्रदर्श P–9** के रूप मे पढ़ा जायेगा। पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या मे चिकित्सक द्वारा किये गये अंकन के संबंध मे आपको क्या कहना है?

उत्तर– कुछ नही कहना है।

प्रश्न–07 आपने अभियोजन पक्ष के साक्षी पी०डब्ल्यू० 5 सनेही सिंह प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज के बयान सुने। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण बयान मे कथन किया कि" मै उपरोक्त विद्यालय मे सन 2008 से प्रवक्ता के रूप मे तथा दिनांक 01.04.2026 से प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूॅ। छात्रा पीड़िता ने मेरे विद्यालय मे दिनांक 15.07.2023 को कक्षा 9 मे प्रवेश लिया था। विद्यालय अभिलेखों मे छात्रा पीड़िता का नाम एस०आर० रजिस्टर मे क्रम

संख्या 14870 मे दर्ज है जिसमे उसकी जन्मतिथि 09.08.2009 अंकित है। छात्रा ने मेरे विद्यालय से पूर्व कम्पोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय जमुआ से शिक्षा ग्रहण की है। मै आज पीड़ित छात्रा से संबंधित अभिलेख मूल रूप से लेकर आया हूँ जिनकी मूल से मिलान उपरान्त निर्मित प्रमाणित प्रति को वाद की पत्रावली पर दाखिल कर रहा हूँ। मुझसे पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर हाकिम सिंह कार्यरत थे जो सेवानिवृत्त हो चुके है। इस साक्षी ने न्यायालय मे बयान देते हुये विद्यालय अभिलेखों मे उपलब्ध पीड़िता के आवेदन फार्म की प्रति को **प्रदर्श P–10** के रूप मे, पूर्व विद्यालय के लीविंग प्रमाण पत्र को **प्रदर्श P–11** के रूप मे, आधार कार्ड की प्रति को **प्रदर्श P–12** के रूप मे तथा पीड़िता से संबंधित विद्यालय के एस०आर०रजिस्टर के दर्ज के इन्द्राज की प्रति को **प्रदर्श P–13** के रूप मे साबित किया है। इस साक्षी के बयान के संबंध मे आपको क्या कहना है?

उत्तर– कुछ नही कहना है। मुझे जानकारी नही है कि पीड़िता की उम्र क्या है।

प्रश्न–08 आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चलाया गया?

उत्तर– पूरन सिंह के परिवार मे हमारे गांव की कंचन पुत्री महेश की शादी हुयी है। हमारी महेश के साथ जगह को लेकर लड़ाई चलती है। इसी विवाद के चलते महेश के कहने पर वादी मुकदमा ने हमारे विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखा दिया। महेश मेरा पडोसी है। यह जगह ग्राम समाज की है। इसी जगह को लेकर लगभग 7–8 साल पहले भी झगडा हुआ था तब महेश ने पुलिस मे शिकायत की थी। मौके पर पुलिस आयी थी लेकिन किसी को पकड़ा नही था। मुझे जानकारी नही है कि मेरे जमानत प्रार्थना पत्र मे मेरे पिता ने उपरोक्त बात लिखायी है या नही।

प्रश्न–09 क्या आप अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे ?

उत्तर– जी हां।

प्रश्न–10. क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

उत्तर– जी नही। मैं निर्दोष हूँ। मुझे झूठा फसाया गया है।

अभियुक्त द्वारा कथन करने पर उसका बयान अक्षरशः सुनकर तस्दीक किया।
मेरे द्वारा लेखबद्ध किया गया।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–14
(बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट)
कानपुर–देहात।
दिनांक–27.07.2026

Digitally signed by PIYUSH TIWARI
Date: 2026.07.29 10:11:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court